हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22 9/2021	प्रकरण दिनांक 2.10.2021 से 8.12.2021 के मध्य आयोजित "प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021" मे रखे जाने से पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र...रानीपुरा.... में दिनांक..15/11/21..को आयोजित शिविर/ केम्प में पेश हो। पक्षकारान् अभिभाषकगण सूचित हो।	
15 11/2021	पत्रावली पेश। पक्षकारान् उप./अनु. है। अभिभाषक उप./अनु. है। पक्षकारान् से समझाईश की गई। राजीनामा/ निर्णय नहीं हुआ है। अतः पत्रावली सम्ब. न्यायालय को वापस लौटाई जावे। पक्षकारान्/ अभिभाषकगण न्यायालय में दिनांक ...27/1/2022... को उपस्थित हो।	
27 1/22	पत्रावली पेश। अभिभाषक द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से वास्ते साबिक दिनांक ....को पेश हैं। २५/3/२२	
24/3/22	पत्रावली पेश। बहस अंतिम वकील पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 13/04/2022 को पेश हो।	
13 4/22	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान् मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया की ग्राम रानीपुरा मे 16 बीघा भूमि है। ख०न० चरण सं. 8 में अंकित है। जमाबन्दी पेश की है।	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विवादित भूमि के ख०नं० 702 व 704 से वर्तमान ख०नं० 1157, 1189, 1190, 1191, 1192, 1372, 1392 बने है। संवत 1997 से 2000 जमाबन्दी के खाता नं. 24 में होगा की खातेदारी में दर्ज थी व दोनो का हिस्सा था। सम्वत 2008-2012 की खतौनी स. 42 में मद होगा उर्फ फत्ता के नाम दर्ज हुई। ख.नं. 1372 मद शिकमी के रूप में दर्ज थी, जो बाद में खातेदारी दर्ज हुई। ख०नं० 1372 नामा०स० 111 दिनांक - 20/01/1957 की खातेदारी में दर्ज हुई, इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि खातेदारी में दर्ज हो गई। फत्ता का हिस्सा "Record of rights" के अनुसार उनके वारिसो के नाम दर्ज होने के बजाय होगा के वारिसो के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त कार्य भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया था। जमाबन्दी में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर बेचान करने पर आमदा है। R.T. Act की धारा 40 के अनुसार खातेदार की मृत्यु उपरान्त स्वतः ही वारिसान खातेदार बन जाते है। प्रार्थीगण वर्तमान ख०नं० 1192, 1193, 1157, 1189 पर काश्त कर रहे है। पैतृक भूमि है। अतः तफैसला वाद अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर दखलदाजी नही करने हेतु पाबन्द करें। वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यो के खण्डन वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की दावे की चरण संख्या - 3 में पारिवारिक सजरा में बिशना के दो लडके होगा व फत्ता बताये है, जो त्रुटिपूर्ण है। वाद सिद्दी की जिम्मेदारी इनकी है। वर्तमान जमाबन्दी में हम खातेदार है। खातेदार के विरुद्ध

Lyr

हुक्म या कार्यवाही मय इमिरियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

T.I. जारी नही की जा सकती है। हमारे द्वारा बोरिंग करवाया हुआ है, कनेक्शन जारी है। ना तो इनका कब्जा है, और न ही मौके पर काश्त की है। मौका रिपोर्ट का प्रा.पत्र हमने पेश किया था, परन्तु इन्होंने मना कर दिया है। भूमि इन्होंने पूर्वजो की बताई है, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। प्रा०पत्र T.I. खारीज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन में कथन किया की मेरे प्रार्थना पत्र के चरण स. 3 मे ~~अगर~~ सजरे में अगर किसी को नही दर्शाया है, तो उनके विरुद्ध T.I. प्रभावी नही रहेगी। चरण स. 6 मे जवाब में इन्होंने कब्जे की बात की है। प्रार्थी का कब्जा नही है। कोई सहमति / पारिवारिक समझौता हो तो न्यायालय में पेश करें। फता की जमीन आपके नाम किस हैसियत से दर्ज हुई। समर्थन मे विनिश्चय → RRD-1993 P.No.-206 व RRT-2011 II P.No-1165 पेश की है। फता की जमीन हमारे नाम कैसे चढी इसका कोई दस्तावेज पेश नही किया, ये कहा है कि इस सम्बन्ध मे जमाबन्दी पेश की हुई है। R.T. Act प्रकाश मे आने से पूर्व मे हमारी खातेदारी में दर्ज थी। कब्जे का प्रश्न T.I. मे तय नही होकर दावे की साक्ष्य में तय होगा। एक सदस्य का कब्जा सभी सदस्या का माना जाता है। दावे मे हम यह कहकर आये है कि हमने आपसी सहमती से राजू के नाम कनेक्शन लिया है। अत: प्रा०पत्र स्वीकार कर T.I. जारी की जावें।

[illegible signature]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिरियल्स जज	
	वकील पक्षकारान द्वारा बहस में दिये गये तर्कों पर विचारण उपरान्त न्यायालय विवादित भूमिया जो की अप्रार्थीगण की खातेदारी में निहित है, पर स्थगन जारी करना उचित नहीं समझता है। अत: प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	